

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

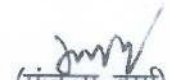
क्रमांक :- एफ.4 (ई) डी/2596/2013/अलेसे-III/2196

दिनांक :- 10-08-18

कार्यालय आदेश

श्री देवेश कुमार पाठक कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय न्यायाधिश पारिवारिक न्यायालय भरतपुर के पत्र क्रमांक 276 दिनांक 03.08.2018 के आवेदन अनुसार माह अगस्त 2018 में दिनांक 13.08.2018 से 29.08.2018 तक (17 दिवस) पारिवारिक कारणों हेतु सीओल (दक्षिण कोरिया) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न. आदि सूचित करेगी।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेशी यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगी।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेखा/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/ के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) डी/2596/2013/अलेसे-III/2196

दिनांक :- 10-08-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधिश पारिवारिक न्यायालय भरतपुर को उनके पत्र क्रमांक 276 दिनांक 03.08.2018 के क्रम में।
2. देवेश कुमार पाठक कनिष्ठ लेखाकार, न्यायाधिश पारिवारिक न्यायालय भरतपुर
3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर में अपलोड हेतु।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)